CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

बोंडा आदिवासी समाज एवं शिक्षा

कु.राखी
असीस्टेंट प्रोफेसर, एमीनेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, सोडा डीगी
गाँव-गढी शब्लू, पोस्ट ऑफिस-लोनी, जिला-गाजियाबाद, पिन कोड-*201102*
Email-rakhisingha333@gmail.com, Mob.- 9650820194

First draft received: 25.10.2023, Reviewed: 29.10.2023, Accepted: 16.11.2023, Final proof received: 18.11.2023

सार-संक्षेप

भारत में आदिवासी समाज को दो वर्गों में विभाजित किया गया है–अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति। आदिवासी लोग अपनी संस्कृति एवं रीति–रिवाजों का भली–भांति प्रकार से पालन करते है। इनका अन्य किसी धार्मिक सम्प्रदाय समूह से सीधा संपर्क नही होता है अतः ये समुदाय अपने आदिवासी रिवाज के अनुसार ही विवाह एवं अन्य कियाए करते है। इनकी प्रथागत एंव जनजातीय आस्था के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार से जुडे अन्य मामलो में सभी विशेशाधिकारों को बनाए रखने के लिए इनके जीवन का अपना तरीका है। यह समाज क्षेत्रीय समूह में रहता है। सीमित परिधि तथा लघु जनसंख्या के कारण इनकी संस्कृतियों के रूप में स्थिरता रहती है, किसी एक काल में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन अपने प्रभाव एवं व्यापकता में अपेक्षाकृत सीमित होते हैं। परंपरा केद्रित आदिवासी सांस्कृतियाँ इसी कारण से अपने अनेक पक्षों में रूढिवादी से दीख पड़ते है।

मुख्य शब्द : –धार्मिक सम्प्रदाय (Religioussect), उत्तराधिकार (Inheritance), सीमित परिधि (Limitedgirth), रूढिवादी (Cliched) *आदि*.

प्रस्तावना

आदिवासी समाज एक ऐसे समाज को कहा जाता है जो केवल कुछ विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। भारत में आदिवासी समाज को दो वर्गों में विभाजित किया गया है –अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति। आदिवासी लोग अपनी संस्कृति एवं रीति–रिवाजों का भली–भांति प्रकार से पालन करते है। इनका अन्य किसी धार्मिक सम्प्रदाय समूह से सीधा संपर्क नही होता है अतः ये समुदाय अपने आदिवासी रिवाज के अनुसार ही विवाह एवं अन्य कियाए करते है। इनकी प्रथागत एंव जनजातीय आस्था के अनुसार विवाह और उत्तराधिकार से जुडे अन्य मामलो में सभी विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए इनके जीवन का अपना तरीका है। यह समाज क्षेत्रीय समूह में रहता है। सीमित परिधि तथा लघु जनसंख्या के कारण इनकी संस्कृतियों के रूप में स्थिरता रहती है, किसी एक काल में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन अपने प्रभाव एवं व्यापकता में अपेक्षाकृत सीमित होते हैं। परंपरा केद्रित आदिवासी सांस्कृतियाँ इसी कारण से अपने अनेक पक्षों में रूढिवादी से दीख पड़ते है। प्रजातीय दृष्टि से इन समूहों में नीग्रिटों प्रोटो–अस्ट्रेलायड और मंगोलायड तत्व मुख्यतः पाये जाते हैं। बोंडा ऑस्ट्रोएशियाटिक जनजातियाँ है, जो जंगली जयपुर पहाडियों के वंशज निवासी माने जाते है। बोंडा जनजाति को **'रेमों बोंडा'** अथवा **'बोंडो'** के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी समाज को क्षेत्र के आधार पर बांटा जाय तो **उत्तर पूर्वी क्षेत्र–** के अन्तर्गत हिमालय क्षेत्र के आदिवासी समूहों में गुरूंग, लिंब, लेपचा, आका, डाफला, अबोर, मिरी, मिशमी, सिंगपी, मिकिर राम कवारी, गारो खांसी, नाग, कुँकी, लुशाई चकमा **मध्य क्षेत्र मे–** संथाल मुंडा, माहली, उराव, गोंड, भील, कोरक **पश्चिमी क्षेत्र में–** भील, मीणा, ठाकुर, कटकरी टोकरों एंव **अण्ड़मान निकोबार क्षेत्र मे–** सेटिंनलीज, जारवा, ओंगी, जंगिल, शौपमेन यानि की निकोबारी आदि प्रमुख आदिवासी निवास करते हैं।

बोंडा जनजाति

बोंडा जनजाति भारत की आदिम जनजातियों में से एक है। बोंडा जनजाति ओडिशा के पश्चिमी प्रांतों में रहने वाली अनुसूचित जाति है। यह जनजाति ओडिशा के पश्चिमी प्रांतों के मलकानगिरी जिले के बीहड पहाड़ी क्षेत्र में विशेष रूप से पायी जाती हैं। यह जनजाति खैरापुट ब्लॉक की पहाड़ियों में अपनी छोटी–छोटी झोपड़ियां बनाकर निवास करती है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत ये अनुसूचित जनजाति के तहत आते हैं एवं रेमों के नाम से भी जाने जाते हैं। 'रेमो' शब्द को बोंडा भाषा में 'लोग' कहा जाता है। इन्हें भारत के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया है। भारत में इस समूह की संख्या 7000 है। ये अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं परंपराओं के लिए जाने जाते हैं अतः बोंडा जनजाति के समूहों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

1. **निचले बोंडा जनजाति समूह–**ये समूह आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे दक्षिण ओडिशा के मलकानगिरी जिले में रहते हैं। इनका अन्य समूहों से सम्पर्क रहता है। यह अन्य लोगों से बाते करने में सहज रहते है।
2. **उपरी बोंडा जनजाति समूह–**ये समूह मलकानगिरी जिले के सुदूर गांवों के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये काफी पिछडे हुए है।

मुंडा नृजातीय समूह से सम्बन्धित इस समूह को विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह में रखा गया है। इस समूह में वर्तमान में कुल 78 आदिवासी समूह शामिल है। भारत में बंधुआ मजदूर या गोटी प्रणाली को बोंडा लोगों द्वारा 'गुफाम' के रूप में जाना जाता है।

बोंडा जनजाति वेशभूषा एवं रहन–सहन

बोंडा जनजाति की वेशभूषा अत्यन्त अनूठी है जोकि इस समाज की संस्कृति को दर्शाती है। बोंडा समुदाय के लोग सामान्यतः एक अधोवस्त्र और गले में केवल चांदी का हार पहनते हैं जो उनकी प्राकृति सुन्दरता को सुशोभित करता हैं रंग बिरंगे मोती से बने ये हार अत्यन्त सजीले होते हैं। ये लोग बालो में अरंडी का तेल लगाते है एंव कानो में बडे–बडे झुमके पहनते है। अतः इनके अधोवस्त्र वेशभूषा पहनने के लिए एक प्रच्चलित मान्यता है कि भगवान राम की पत्नी सीता के श्राप के कारण ये लोग केवल नीचे के शरीर को ही ढंकते हैं। बोंडा समुदाय के लोग वारलि चित्रकला कलाकृति बनाने में काफी माहिर होते हैं। बोंडा जनजाति के लोग मुख्यतः कृषि प्रधान है, ये लोग समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करते हुए ये 20 से अधिक फसलों को उगाते है एंव पोडु की खेती भी करते है महिलाएं भी खेती करने में पुरूषों का सहयोग करती है। इस समुदाय के बारे में एक और दिलचस्प बात है कि इन्होंने सांस्कृतिक पहलुओं में थोड़ा बदलाव करके अपनी मौलिकता को बनाए रखा है। इसका कारण यह है कि इनके अलगांव और ज्ञात आक्रामकता के कारण बोंडा जनजातियां एक समृद्ध

जनसंख्या विस्फोट की तीव्रता की परवाह किए बिना अपनी विरासत का संरक्षण करने में सक्षम है। बोंडा जनजाति मुख्यतः मातृसत्तात्मक है।

बोंडा जनजाति का शिक्षा क्षेत्र

70 के दशक में बोंडा आदिवासियों के विकास के लिए बोंडा डेवलपमेंट एजेन्सी का गठन किया गया जो आज तक यहाँ काम कर रही है। परन्तु क्या ये एजेन्सी अपना कार्य एंव फर्ज पूरा कर रही है यह अत्यन्त विचारणीय तथ्य है। बोंडा जनजातियों को प्रशासनिक तौर पर दो भागों में बांटा गया है–

- एक वे बोंडा आदिवासी हैं जिन्होंने समय के साथ पहाड़ों से नीचे उतरकर अपनी बस्ती बसा ली और मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज के सम्पर्क में आ गये उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी कुछ हद तक ठीक हुई है।
- दूसरी क्षेत्री में उन बोंडा आदिवासियों को रखा गया है जो अभी भी पहाड़ों पर जंगल में रहते हैं। इन्हें उपरी बोंडा या पहाडी बोंडा कहते है। इन आदिवासियों को सरकार ने पी.वी.टी.जी यानी आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। उपरी बोंडा आदिवासियों के विकास के लिए 1977 में बोंडा डेवलपमेंट एजेन्सी को स्थापित किया गया। इस एजेन्सी को केंन्द्र से विशेष बजट दिया जाता है। और यह एजेन्सी ओडिशा सरकार की देखरेख और प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करती है। बोंडा आदिवासी क्षेत्र की आबादी में लगातार बढोतरी देखी गयी है। जो निम्न प्रकार परिवर्तित हुई है–

बोंडा आबादी की वृद्धि दर

वर्ष	जनसंख्या
1941	२,868
1961	4,667
1971	8,898
1981	8,898
फलहाल	8,000

बोंडा आबादी का बदलता लिंगानुपात 1961 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या में कमी आयी है जिसमें 1000 पुरूष की तुलना में 9२1 महिलाएं थी। फिलहाल यहाँ लिंगानुपात पहले से बेहतर हुआ है एंव पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में इजाफा भी देखा गया है। जनंसख्या वृद्धि दर भी नकारात्मक नहीं देखी गयी है। इसका श्रेय ओडिशा सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को दिया जाता है। जिन आदिवासियों को अत्यन्त खतरनाक माना जाता है प्रशासन के द्वारा आदिवासियों तक पहुंच को आसान बनाया गया है। बोंडा जनजाति में साक्षरता दर बेहद खराब रही है। इस समुदाय के लोग पढाई लिखाई में अधिक रूचि नही लेते है। इसमें जनगणना आकड़े बताते हैं कि–

बोंडा जनजाति में साक्षरता दर

वर्ष	जनसंख्या
1961	2.14%
1971	1.42%
1981	3.61%

1961–1981 में महिला साक्षरता दर एक प्रतिशत भी नहीं पहुंची है। पिछले दो दशकों में बोंडा साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है। यहां पर इन आदिवासियों के लिए प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं जहाँ आदिवासी बच्चे पढ़ रहे है। आदिवासियों को संवैधानिक और कानूनी हक दिलाने के लिए काम करने वाले विभाग आमतौर पर कामचलाऊ और सतही कोशिश करते हैं। जिससे इनका पालन–पोषण हो सके। 2006 में इन आदिवासियों के अधिकारों के लिए वनाधिकार पर कानून तो बना लेकिन बोंडा जनजातियों की जमीन का सही–सही रिकार्ड आज तक उपलब्ध नहीं है। प्रशासन के द्वारा इनकी जमीन को लेकर कहा जाता है कि इनकी जमीन पर जूते चप्पल पहनकर नहीं जा सकते है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इनके सरपंच ने इनके बारे में जो भी जानकारी दी है केवल वो ही रिकार्ड है। आदिवासी समाज एवं स्थानीय समाज अब में सम्पर्क में आ गये हैं। जिससे इनकी स्थिति में काफी सुधार देखा गया है। इन आदिवासियों की क्या स्थिति है एवं क्यों है यह लगभग अब स्पष्ट है। अतः इनके उत्थान के लिए सरकारी एंव निजि तौर पर प्रयास किये जा रहे हैं जो इन आदिवासियों की स्थिति में सुधार करेगें।

निष्कर्ष

पहाड़ी बोड़ाओं की संस्कृति, भाषा और पहचान को बनाये रखने के लिए इनकी पहचान को बचाने की चिंता में डूबे लोगों को इतिहास एंव अनुभव से सिखने की जरूरत है। बोड़ा आदिवासियों को अत्यन्त खतरनाक माना जाता है प्रशासन एंव ओडिशा सरकार के द्वारा आदिवासियों तक पहुंच को आसान बनाया गया है। बोंडा जनजाति में साक्षरता दर बेहद खराब रही है। ओडिशा सरकार के द्वारा इनके उत्थान के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे। अतः इनके उत्थान के लिए सरकारी एंव निजि तौर पर प्रयास किये जा रहे हैं जो इन आदिवासियों की स्थिति में सुधार करेगें। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये समूह अपनी रूचि दिखा रहे है। इन समूहो की पढाई आवासीय विद्यालयों एंव मातृभाषा के द्वारा ही कराई जा रही है। शिक्षा के माध्यम से इन्हे जीवन एंव जीविका संबंधी कौशल सिखाए जाते है। आदिवासी समाज एवं स्थानीय समाज का सम्पर्क होने के पश्चात इनकी स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। इन आदिवासियों की क्या स्थिति है अब लगभग स्पष्ट है।

सन्दर्भ

- ऐलविन,बी.(2008), जनजातिय मिथक उडिया आदिवासियों की कहानियाँः राजकमल पब्लिकेशन दरयागंज दिल्ली।
- दोशी एस. एल, जैन पी. सी.(२०२0), जनजातिय समाजशास्त्रः रावत पब्लिकेषन जयपुर।
- सोरने, डी. (2016), रेलिवेन्स, ऑफ एज्यूकेशन एण्ड ड्रॉपआउट अमंग ट्राइबल स्टूडेन्ट इन मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिसा, इंटरनेशनल स्कालरली रिसर्च जर्नल।
- उपमन्यु, एम.सी. (2016), 'द ट्राइबल एज्यूकेशन इन इण्डिया स्टेटस चेलैजिस एण्ड इशु, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ नॉवेल रिसर्च इन एज्यूकेशन एण्ड लर्निंग।
- कुमार, एम. (2018), आधुनिक शिक्ष एवं दलित, रावत पब्लिकेशन्स, हर्ि्रत द्विवेदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शिक्षा में आरक्षण व्यवस्था. (14)।
- गओ, सी.(2010), द रोल ऑफ फेस–टू–फेस इंटरपर्सनल कम्यूनिकेषन विद् डिफ्रेंट सोषल नेटवर्क इन द डवलेपमेंट ऑफ इंटरक्लचर कम्यूनिकेषन काम्पीटेंस, विस्टन–सलीम, नार्थ केरोलिना,सीए।
- दास, बी.सी. (201२), एज्यूकेशन फॉर ट्राइबल्स : पार्टीसिपेशन एण्ड इफैक्टिवनेस, रिंगल
- पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- भाटिया, एच.के., हुसैन.ए., हुसैन, आई., मासीह.ए. (2014), स्कूल इकोलॉजी एण्ड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ ट्राइबल स्टूडेन्टः विवा बुक प्राइवेट लिमिटेड. (2–204)।
- वर्मा,एस.के. सेंगर, आर.एस. यादव के एन., सूर्यवंशी, आर.के. (2002), 'यूटिलायजेशन पेटर्न ऑफ डिफ्रेन्ट कम्यूनिकेशन सार्सिस फॉर सिकिंग इन्फॉरमेशन अबाउट ओरगेनिक फार्मिंग यूज बाई द ट्राइबल फारमर ऑफ छत्तीसगढ़।
- शनमुगराजा, पी. एवं कणयासबपथी. (2008),'कम्यूनिकेशन बिहेवियर ऑफ ट्राइबल फॉरमर ऑफ पंचमलाई हिल, एग्रीकलचर अपडेट।
- https://images.app.goo.gl/aWKegzYjYvQWfR2m6